प्रेषक, पंजीकृत

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा मे,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0बी0एस0ई0/ ——— /2020–21 दिनांक 08 जुलाई– 2020

विषयः पुलिस मार्डन स्कूल, पुरानी पुलिस लाइन बरेली को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश दिनॉक 14–07–09 के कम मे गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम मे उक्त सदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

01– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02– विद्यालय की प्रबंध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03– विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

04– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

05– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

06– कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

07– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

08– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओ में रखा जायेगा।

09– उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

POLICE MODERN SCHOOL
C.B.S.E. Aff. No. 2131119
POLICE LINES, BAREILLY

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायगा।

भवदीय

(डा0प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल बरेली।

पृ0सं0 सी0बी0एस0ई0/ 1119 20 /2020-21 दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01 आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
02 जिलाधिकारी, बरेली।
03 संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
04 शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
05 जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
06 निरीक्षक, आंग्ल भाषा भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
07 प्रबन्धक / प्रधानाचार्य पुलिस मार्डन स्कूल, पुरानी पुलिस लाइन्स बरेली।

02-2020

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल, बरेली।